बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

सं0सं0– 9/सी0–5–02/2026– 4783 पटना/दिनांक– 30/10/2026.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No-54/2026 (SLP(C) No-22323/2023 से उदभूत), अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य एवं अन्य सदृश वाद में दिनांक–06.01.2026 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"44. Consequently, the impugned judgment and order dated 05.07.2023 passed by the High Court of Judicature at Patna in CWJC No. 18302 of 2022 is set aside. The appeal is allowed. The respondents are directed to finalize the appointments based on the merit lists published in June/July 2022, strictly following the unamended 2019 Rules.

45. It has been informed that the State has made appointments pursuant to the impugned judgment of the High Court which stands set-aside, however, their services may be dispensed with, in accordance with law. We also make it clear that the directions as issued shall not have any adverse impact if the State of Bihar wishes to continue the services of the persons appointed as above, if they are deemed fit, on the vacancies available, if any, or by creating supernumerary posts without affecting the merit list as indicated above.

02. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–15 दिनांक–27.02.2026 द्वारा विज्ञापन संख्या–01/2019 के अंतर्गत परीक्षाफल संशोधित करते हुए जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियंताओं (असैनिक) की नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारो की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

03. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुपालन के कारण बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा पूर्व में विज्ञापन संख्या–01/2019 के अंतर्गत अनुशंसित उम्मीदवार सृष्टि (रौल नं0–113561) परीक्षाफल संशोधन के पश्चात चयन की परिधि से बाहर हो गई।

04. उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–49 दिनांक–14.11.2023 द्वारा पूर्व में विज्ञापन सं0–01/2019 के अंतर्गत जल संसाधन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराये गये अनुशंसा के आलोक में पिछड़ा वर्ग कोटि के क्र0सं0–50 पर अंकित अभ्यर्थी सृष्टि (रौल नं0–113561) की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या–327 दिनांक–17.02.2024 के क्र0सं0 14 द्वारा सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर की गई थी। उक्त विभागीय अधिसूचना की कंडिका–13 में अंकित है कि यह नियुक्ति औपबंधिक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष इस संदर्भ में किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

05. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त संशोधित अनुशंसा में चयन/अनुशंसा की परिधि से बाहर रहने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–327 दिनांक 17.02.2024 के क्र0सं0 14 द्वारा सृष्टि (आई0डी0–5930), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पुनपुन बराज अवर प्रमंडल–4, गोह (पुनपुन बराज प्रमंडल–1, गोह के अंतर्गत) की सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर की गयी नियुक्ति को विभागीय अधिसूचना संख्या–1565 दिनांक–06.04.2026 द्वारा रद्द किया गया।

06. विभागीय अधिसूचना संख्या–1565 दिनांक–06.04.2026 को निरस्त किये जाने एवं अधिसूचना संख्या–327 दिनांक–17.02.2024 के क्र0सं0 14 से की गयी नियुक्ति/सेवा को पुर्नस्थापित करने एवं अन्य लाभ हेतु सृष्टि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–6691/2026 सृष्टि बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में विभाग की ओर से प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है।

07. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–03/2019 के अंतर्गत पूर्व में अनुशंसित उम्मीदवारों में से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन में संशोधित अनुशंसा (परीक्षाफल संशोधन के पश्चात्) में चयन की परिधि से बाहर रहे दो उम्मीदवार (श्री अमित कुमार एवं श्री मन्टु कुमार) को लघु जल संसाधन विभाग, पटना के अधिसूचना संख्या–2639 दिनांक–20.04.2026 द्वारा सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर की गई नियुक्ति को समायोजित कर बरकरार रखा गया है। लघु जल संसाधन विभाग, पटना के अधिसूचना संख्या–2639 दिनांक–20.04.2026 के आधार पर सृष्टि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आई0ए0 दायर किया गया एवं सदृश्य मामले के दृष्टिगत स्वयं की सेवा को पुर्नबहाल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

08. उपर्युक्त अंकित तथ्यों के दृष्टिगत सृष्टि की नियुक्ति को पुर्नस्थापित किये जाने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग, पटना से परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत् है–

"स्पष्टतः जो अभ्यर्थी मूल अनुशंसा के आधार पर नियुक्त किये गये परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक न्यायादेश के आलोक में अनुशंसा की परिधि से बाहर हो गये उन्हें राज्य सरकार, यदि चाहे तो, उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित कर सेवा में बनाये रखा जा सकता है और रिक्त पद उपलब्ध नही होने की स्थिति में उतनी संख्या में अतिरेक पद (Supernumerary posts) सृजित कर उन्हें सेवा में बनाये रखा जा सकता है। ऐसा किये जाने की स्थिति में इस निर्णय के तहत् सेवा में बरकरार रखे गये सहायक अभिंयता वरीयता सूची में सबसे नीचे रखे जायेंगे।"

09. सामान्य प्रशासन विभाग, पटना द्वारा उक्त मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन से संबंधित रहने के कारण यह भी परामर्शित किया गया कि प्रशासी विभाग द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिये जाने के पूर्व विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श भी प्राप्त कर लिया जाय। तदालोक में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया

गया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सृष्टि की सेवा पुनर्बहाल करने में किसी प्रकार का legal impediment/hurdle नहीं होना परामर्शित किया गया।

10. उक्त कंडिका 08 एवं 09 में सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रदत्त परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0–1565 दिनांक–06.04.2026 को निरस्त करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–327 दिनांक–17.02.2024 के क्रमांक–14 द्वारा सृष्टि की सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर की गयी नियुक्ति को पुर्नस्थापित किया जाता है।

9. इस निर्णय के तहत् विज्ञापन संख्या–01/2019 से विभागान्तर्गत नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) की वरीयता सूची में सृष्टि की वरीयता सबसे अंतिम रखा जायेगा।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

30/10/26

(संजय कुमार)
उप सचिव–1 (प्रबंधन)

ज्ञापांक– सं0सं0– 9/सी0–5–02/2026– 4783 पटना/दिनांक– 30/10/2026

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

उप सचिव–1 (प्रबंधन)

ज्ञापांक– सं0सं0– 9/सी0–5–02/2026– 4783 पटना/दिनांक– 30/10/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

30/10/26

उप सचिव–1 (प्रबंधन)

ज्ञापांक– सं0सं0– 9/सी0–5–02/2026– 4783 पटना/दिनांक– 30/10/2026

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्य (जल संसाधन विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ सभी अभियंता प्रमुख/विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 20, 22, 23 एवं 24 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

30/10/26

उप सचिव–1 (प्रबंधन)

ज्ञापांक– सं0सं0– सं0सं0– 9/सी0–5–02/2026– 4783 पटना/दिनांक– 30/10/2026

निबंधित

प्रतिलिपि– सृष्टि, सहायक अभियंता (असैनिक), पिता– सुशील कुमार, न्यू यारपुर, जनता रोड, एन0वाई0–118/ए गर्दनीबाग, जिला–पटना, बिहार पिन कोड–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि उक्त निर्णय के अनुपालनार्थ अपना योगदान जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगी।

30/10/26

उप सचिव–1 (प्रबंधन)

ज्ञापांक– सं0सं0– 9/सी0–5–02/2026– 4783 पटना/दिनांक– 30/10/2026

निबंधित /ई–मेल

प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद/अधीक्षण अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल–1, गोह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/26

उप सचिव–1 (प्रबंधन)

ज्ञापांक– सं0सं0– 9/सी0–5–02/2026– 4783 पटना/दिनांक– 30/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/10/26

उप सचिव–1 (प्रबंधन)